रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML-2007.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 1 सितम्बर, 2007 / 10 भाद्रपद, 1929

हिमाचल प्रदेश सरकार

उद्योग विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002,12 अगस्त, 2007

संख्या इण्ड–।।(बी) 2–6 / 2005.– हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश, लोक सेवा आयोग के परामर्श से, उद्योग विभाग हिमाचल प्रदेश में कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, वर्ग–।।। (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थातः–

1 **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग,कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, (वर्ग–।।।) (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **निरसन और व्यावृत्तियां.–** (1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः उद्योग (ख)2–1 / 95 तारीख 13–08–1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, (वर्ग–।।) (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप–नियम (1)के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा,
हस्ता / –
अतिरिक्त मुख्य सचिव।

———

उपाबन्ध ''क'''

हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग में कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, वर्ग– III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम।

1. पद का नाम	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक
2. पद की संख्या	31 (इक्तीस)
3. वर्गीकरण	वर्ग–III (अराजपत्रित)
4. वेतनमान	4400–150–5000–160–5800–200–7000 रूपये.
5. चयन पद अथवा अचयन पद	अचयन ।
6. सीधी भर्ती के लिए आयु :	18 से 45 वर्ष ।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधारपर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नयुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर, नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा;

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य प्रवर्गो के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है;

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों / स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐस ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत नकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों / स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर, निगमों / स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और उन पव्लिक सैक्टर, निगमों / स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात निगमों / स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेल्लित किए गए हैं / किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को, आवेदन आमंत्रित करने के लिए यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं :–

अनिवार्य अर्हर्ता :–1. हिमाचल प्रदेश / केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से दसवीं की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उतीर्ण की हो या दस जमा दो परीक्षा उतीर्ण की हो या इसके समकक्ष, और

2. प्रारम्भिक भर्ती के समय दोनों भाषाओ अर्थात अंग्रेजी और हिन्दी में आशुलिपिक और टंकण के निम्नलिखित गति अवश्य रखता हो, और

आशुलिपि में गति		टंकण की गति	
अंग्रेजी	*हिन्दी*	*अंग्रेजी*	*हिन्दी*
80 शब्द प्रतिमिनट	70 शब्द प्रतिमिनट	40 शब्द प्रतिमिनट	30 शब्द प्रतिमिनट

3. भर्ती अभिकरण द्वारा यथा विहित, कम्पयूटर में शब्द प्रसंस्करण का ज्ञान रखता हो

वांछनीय अहर्ता :–हिमाचल प्रदेश की रूढियों रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ठ दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शौक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होगी या नहीः– आयु : लागू नहीं।
शैक्षिक अहर्ता :लागू नहीं ।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि काई हो :– दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

10. भर्ती की पद्धति भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता :–शत–प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर ।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियों (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा :– आशुटककों में से, प्रोन्नति द्वारा जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जायेगी, कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रकिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा / नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग / पद / काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जायेंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जायेंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अहर्ता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किये जाने सम्बधी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जायेगेगा / समझे जाएगंगें ।

स्पष्टीकरण :– अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा। यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिज परसोनल **(**रिजर्वेशन आफ बैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टैक्नीकल सर्विसीज**)** रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गये हों या जिसे एक्स–सर्विसमैन **(**रिजर्वेशन आफ बैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज**)** रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गये हों ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व की सम्भरण पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवा काल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी;

परन्तु की गई उर्पयुक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप, पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. **यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचनाः–** जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए ।

13. **भर्ती करने में, जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाः–** जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के अनिवार्य अपक्षेाः–** किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यार्थी को भारत का नागरिक हेाना अनिवार्य है ।

15. **सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन :–** सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझें, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर / पाठ्यक्रम, यथास्थिति, आयोग / अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

15(क) संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः–

(1) संकल्पनाः– (क) इस पॉलिसी के अधीन उद्योग विभाग हिमाचल प्रदेश में कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक को संविदा के आधार प्रारम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए लगाया जायेगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा ।

(ख) अभ्यर्थियों को, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा रिक्त पद का विज्ञापन देकर चयनित किया जायेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जायेगा।

(घ) इन नियमों के अधीन इस प्रकार चयनित संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सरकारी नौकरी (जॉब) में नियमितिकरण या स्थायी आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

(।।) देयेय मानदेयय:– संविदा के आधार पर नियुक्त किये गये कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक को 4400/–रूपए जमा मंहगाई वेतन की दर से समेकित नियत रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी। आकस्मिक अवकाश के लिए छुटटी अवधि के लिए कोई राशि सदंत नहीं की जाएगी । क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए मानदेय में 150/–रूपए की वृद्वि अनुज्ञात की जाएगी यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है।

(।।।) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी:–निदेशक उद्योग हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासनिक प्राधिकारी होंगे ।

(IV) चयन प्रकिया:– (क) निदेशक उद्योग हिमाचल प्रदेश कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक की विद्यमान रिक्तियों की बाबत, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व, सरकार को अग्रिम रूप में सूचित करेगा और कार्यभार (वर्कलोड) तथा मानकों के अनुसार उनका पूर्ण न्यायोचित्य देते हुए रिक्तियों को भरने हेतु सरकार का अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(ख) सरकार द्वारा अनुरोध पर विचार किया जाएगा और यदि स्थानान्तरण के लिए कोई अनुराधे है, तो पथमतः सरकार नियमित पदधारी के स्थानान्तरण द्वारा रिक्ति को भरेगी या अन्यथा सरकार विभागाध्यक्ष को कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रिक्त पद को संविदा के आधार पर केवल एक वित्तीय वर्ष के लिए भरने हेतु ''अनापत्ति प्रमाण पत्र''जारी करेगी जिसे सरकार द्वारा वर्षानुवर्ष बढ़ाया जा सकेगा।

(ग) विभागाध्यक्ष रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के समक्ष भेजेगा ।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति:– चयन सम्बद्ध भर्ती अधिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा किया जाएगा ।

(VI) करार : –अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें :–(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 4400/रूपए जमा मंहगाई वेतन की दर से संविदात्मक रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी, यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है ।

(ग) संविदा नियुक्ति पदाधारी को किसी भी दशा में, सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

(घ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा।

यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

(ड.) नियंत्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यावसान)हो जाएगी।

(च) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ज) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः निरीक्षण किया जाना चाहिए।

(झ) संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में उसका दौरे पर जाना आपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित कर्मचारियों को लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(VIII) नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार :– इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर लगाए गए अभ्यर्थी को किसी भी दशा में उद्योग विभाग में कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में नियमितिकरण / स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

16. **आरक्षण :–**सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों / अन्य पिछडे वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

17. **विभागीय परीक्षा :–** लागू नहीं

18. **शिथिल करने की शक्ति :–** जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों)की वावत, शिथिल कर सकेगी।

———

उपाबन्ध–ख

कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक उद्योग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित किये जाने वाले संविदा / करार का प्ररूप ।

यह इकरार श्री / श्रीमति.....पुत्र / पुत्री श्री..... निवासी, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम' पक्षकार' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के माध्यम से (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) आज तारीख को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरीक्तप्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:–

1. यह कि प्रथम पक्षकार कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में से प्रारम्भ होने और को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जायेगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 4400 / –रूपये जमा महंगाई वेतन संविदात्मक रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी ।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदात्मक नियुक्ति पदधारी को किसी भी दशा में नियमित सेवा के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

5. संविदात्मक नियुक्ति कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदात्मक नियुक्ति कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी। नियमानुसार केवल प्रसूति अवकाश दिया जाएगा ।

6. नियन्त्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जायेगा। संविदात्मक कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक कर्तव्य (कार्य) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए मानदेय का हकदार नहीं हागा।

7. संविदा के आधार नियुक्त कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा ।

8. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना अरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक समय की गर्भावस्था प्रसव होने तक उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यर्थियों का प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्कतता के लिए पुनः निरीक्षण किया जाना चाहिए ।

9. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना दअपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसे कि नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को लागू है, यात्रा / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी ।

10. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ–साथ ई0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षी की उपस्थिति में
1.....
.....
(नाम व पूरा पता)

साक्षी की उपस्थिति में
2.....
.....
(नाम व पूरा पता)

प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर

साक्षी की उपस्थिति में
1.....
.....
(नाम व पूरा पता)

साक्षी की उपस्थिति में
2.....
.....
(नाम व पूरा पता)

द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर

———

[*Authoritative English text of this Department Notification No: Ind II(B)22/200,5 Dated 7th August, 2007 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]*

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION.

Shimla-171002, the 7th August, 2007

No.Ind-II(B)2-2/2005.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules, further to amend the Himachal Pradesh Industries Department Peon, Class-IV (Non Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997, notified vide notification No. Udyog-II (Kha) 2-25/95 dated: 26-03-1997, namely:—

1. *Short title and Commencement.*—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh, Industries Department, Peon Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (Second Amendment) Rules, 2007.

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment Annexure"A".*—In Annexure-A to the Himachal Pradesh, Industries Department, Peon, Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997.—

(a) For the existing entries against Col.No.5 the following shall be substituted, namely: — "N.A.";

(b) For the existing title of Col.No10 the following shall be substituted, namely: — "Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods." ;

(c) For the existing entries against Col.No10 the following shall be substituted, namely:—

i) 50% by direct recruitment or on contract basis.

ii) 50% by transfer. ;

(d) For the existing entries against Col.No11 the following shall be substituted, namely:—

i)" By transfer from amongst the other class-IV official who possess 05 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered if any in the grade from the Department on the basis of seniority.

A combined seniority list of all eligible Class-IV will be prepared by not disturbing their Seniority for transfer to the said post." ;

(e) For the existing entries against Col.No12 the following shall be inserted, namely:— "N.A.";

(f) After the existing entries against Col.No15 the following shall be substituted, namely:—

"15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.

(I) *CONCEPT.*—

(a) Under the policy, Peon in the Department of Industries, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable for further two years on year-to-year basis.

(b) The candidates will be selected by advertising the vacant post by the Head of the Department in two leading newspapers.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(d) Contract appointee so selected under these Rules will not have any right to claim regularization or permanent absorption in Govt. job.

(II) *HONORARIUM PAYABLE.*— The Peon appointed on contract basis will be paid consolidated contractual amount in terms of agreement @ Rs.3780/- per month. No amount will be paid of leave period except Casual Leave. An amount of Rs. 100/- as Increase in consolidated contractual amount for second and third years respectively will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) *APPOINTMENT/DISCIPLINARY AUTHORITY.*—Director of Industries, H.P. will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) *SELECTION PROCESS.—*

(a) The Director of Industries H.P will inform the Government/ Department about the existing vacancies of Peon well in advance before the end of the financial year and seek approval to fill up the vacancies by giving full justification of the same according to the work load and norms.

(b) The request will be considered by the Government and if there is any request for transfer in the first instance the Govt. will fill up the vacancy by transfer of regular incumbent, or otherwise Govt. will issue "No objection Certificate" to the Head of Department to fill up the vacant post of Peon on contract basis for one financial year only, which can be extended for year to year by the Government.

(c) The Head of the Department after obtaining tapproval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will advertise the detail of the vacant posts through employment exchange and invite the applications of the eligible candidates having qualifications and other eligibility conditions as prescribed by the Head of Department in the first month of the financial year positively.

(V) *COMMITTEE FOR SELECTION OF ONTRACTUAL APPOINTMENTS.*—The selection will be made by the Director of Industries, H.P. after the approval of selection committee constituted as under:—

1. Director of Industries *Chairman*

2. Addl./Jt.Director of Inds.(Admn.) *Member*

3. Jt. Director of Industries. *Member*

The selection will be made by conducting the written/vivavoce test of the candidates. The Selection Committee may conduct the written test if the number of applications is more than ten times of vacancies in concerned subject. The criterion for selection will be based on the distribution of marks given below.—

Sl.No.	Particulars	Marks	Remarks.
1.	Marks obtained in Matric	5	5% of the percentage of marks obtained.
2.	Marks obtained. in Higher Secondary/+2	10	10%of the percentage of marks obtained.
3.	Marks obtained in B.A./ B.Sc.	20	20% of the percentage of marks obtained.
4.	Marks obtained in M.A./ M.Sc.	40	40% of the percentage of marks obtained.
5. (a)	Experience In a Govt./semi. Govt. In any firm for which Against the post the candidate is Being interviewed.	10	Experience less than six months would not be considered. For every six months credit of 2.5 marks would be given subject to the 10 marks.

6.	Knowledge of custom, Manner and dialect of H.P.	5	-----
7.	Viva-voce	10	-----

(VI) *AGREEMENT.*— After selection of a candidate, he/ she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these rules.

(VII) *TERMS AND CONDITIONS.—*

(a) The contract Appointee will be paid consolidated contractual amount in terms of agreement @ Rs.3780 per month. An amount of Rs.100/- as increase in consolidated contractual amount for 2nd and 3rd year respectively will be allowed if contract is extended beyond one year.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found good.

(c) Contract appointee shall not counter any right to incumbent for the regularization in service at any stage.

(d) Contract appointee will be entitled for one-day causal leave after putting one-month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement &LTC etc. Only Maternity Leave will be given as per rules.

(e) Unauthorized absence from the duties without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract.

(f) Contract appointee shall not be entitled for honorarium for the period of absence from duty.

(g) Transfer of contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(h) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Govt./Registered Medical Practitioner. Women candidate, pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over.

The Women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(i) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to Regular Official.

(VIII) *RIGHT TO CLAIM REGULAR APPOINTMENT.*—The candidate engaged on contract basis under these rules shall have no right to claim for regularization/permanent absorption as Peon in Industries Department at any stage.

Annexure – B

Form of contract / agreement to be executed between the Peon & the Government of Himachal Pradesh through Director of Industries, H.P.

This agreement is made on this ..... day of ..... in the year ..... between Sh. / Smt. ..... S/o/D/o Sh. ..... R/o ..... contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Director of Industries, Himachal Pradesh (hereinafter called the SECOND PARTY). Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Peon on contract basis on the following terms and conditions :—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as Peon for a period of 1 year commencing on the day of ..... and ending on the day of ..... It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ..... and information notice shall not be necessary.

2. The Contract salary of the FIRST PARTY will Rs.3780/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good.

4. The contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regular service at any stage.

5. Contractual Peon will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Peon. He/she will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. One maternity leave will be given as per Rules.

6. Unauthorised absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Peon will not be entitled for the salary for the period of absence from duty.

7. Transfer of a Peon appointment on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.

8. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/practitioner.

9. Contract official shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part Official.

10. The Employees Group Insurance Scheme will not be applicable to the contractual appointee(s)as well as EPF&GPF IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.'

IN THE PRESENCE OF WITNESS :

1. .....
.....
.....

(Name and Full Address)

Signature of the (FIRST PARTY)

2 .....
.....
.....

(Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS :

1. .....
.....
.....

(Name and Full Address)

Signature of the (SECOND PARTY)

2. .....
.....
.....
(Name and Full Address)

By order,
Sd/—
Additional Chief Secretary .

———

उद्योग विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 7 अगस्त, 2007

संख्याःइण्ड–।।(बी)2–2 / 2005.– हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत` हुए, अधिसूचना संख्याः उद्योग–।। (ख)2–25 / 1997 तारीख 26–03–1997 द्वारा अधिसूचित उद्योग विभाग हिमाचल प्रदेश में चपड़ासी वर्ग IV (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्.–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**.– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उद्यागे विभाग चपरासी वर्ग– IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (द्वितीय संशाधे ान) नियम, 2007 हैं।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

2. उपाबन्ध– अ का संशोधन.– हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग चपड़ासी वर्ग– IV (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 के उपाबन्ध–अ में.–

(क) स्तम्भ संख्या 5 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:– लागू नही ं ।"

(ख) स्तम्भ संख्या 10 के विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:– ''भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतताः '';

(ग) स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्.–

i) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर।

ii) पचास प्रतिशत स्थानान्तरण द्वारा। ;

(घ) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्.– "विभाग में अन्य वर्ग– IV में से स्थानान्तरण द्वारा, जिनका 5 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 5 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो। उक्त पद पर स्थानान्तरण के लिए सभी वर्ग IV कर्मचारियों की, उनकी पारस्परिक वरिष्ठता को छेड़े बिना, एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी। ";

(ङ) स्तम्भ संख्या 12 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्.– "लाग ू नही ं ।"

(च) स्तम्भ संख्या 15 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"15–क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर ;नियुक्ति के लिए चयन।

I) संकल्पना.– (क) इस पॉलिसी के अधीन उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश में चपरासी को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
;

ख) अभ्यर्थियों का चयन, विभागाध्यक्ष द्वारा दो अग्रणी समाचार पत्रों में रिक्त पद का विज्ञापन देकर किया जाएगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तो के अनुसार किया जाएगा।

(घ) इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर इस प्रकार चयनित व्यक्ति को सरकारी सेवा ;(जॉब) में नियमितिकरण या स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(II) देय मानदेय.– संविदा के आधार पर नियुक्त चपरासी को करार के निबन्धनों के अनुसार 3780 / –रूपए की दर से समेकित संविदात्मक रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी । आकस्मिक अवकाश के सिवाए छुट्टी की अवधि के लिए कोई रकम सन्दत्त नहीं की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए समेकित संविदात्मक रकम में 100 / –रूपए की बढ़ौतरी अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति / अनुशासन प्राधिकारी.– निदेशक, उद्योग हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रकिया.– (क) निदेशक, उद्योग हिमाचल प्रदेश वित्तीय वर्ष के समाप्ति से ठीक पूर्व चपरासियों की रिक्तियों की बाबत सरकार / विभाग को सूचित करेगा और कार्यभार (वर्कलोड) तथा मानकों के अनुसार पूर्ण औचित्य देते हुए रिक्तयों को भरने के लिए अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(ख) सरकार द्वारा, अनुरोध पर विचार किया जाएगा और यदि प्रथमतः स्थानान्तरण के लिए कोई अनुरोध है, तो सरकार नियमित पदधारी के स्थानान्तरण द्वारा रिक्ति को भरेगी या अन्यथा सरकार विभागाध्यक्ष को चपरासी के रिक्तपद को संविदा के आधार पर केवल एक वित्तीय वर्ष के लिए भरने हेतु "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी करेगी जिसे सरकार द्वारा वर्षानुवर्ष बढ़ाया जा सकेगा।

(ग) विभागाध्यक्ष, रिक्त पद को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् नियोजनालय के माध्यम से रिक्त पदों के ब्यौरे विज्ञापित करवाएगा और विभागाध्यक्ष द्वारा यथा विहित अर्हताए ं और अन्य पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों से निश्चित तौर पर वित्तीय वर्ष के प्रथम मास में आवेदन मांगेगा।

;

V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.– चयन, निदेशक उद्योग हिमाचल प्रदेश द्वारा निम्नलिखित गठित चयन समिति के अनुमोदन के पश्चात् किया जाएगा.–

1.	निदेशक उद्योग	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त / संयुक्त निदेशक (प्रशासन)उद्योग	सदस्य
3.	संयुक्त निदेशक उद्योग	सदस्य

चयन अभ्यर्थियों की लिखित / मौखिक परीक्षा संचालित करके किया जाएगा। यदि सम्बद्ध विषय में आवेदनों की संख्या रिक्तियों से दस गुणा से अधिक है तो चयन समिति लिखित परीक्षा का आयोजन कर सकेगी। चयन का मानदण्ड निम्न प्रकार से दर्शाए गए अंकों के वितरण के आधार पर होगा.–

क्रम संख्या	विशिष्टियां	अंक	टिप्पणियां
1.	दसवीं में प्राप्त अंक	05	प्राप्त अंकों की प्रतिशतता का पांच प्रतिशत
2	हायर सेकेण्डरी / 10+2 में प्राप्त अंक	10	प्राप्त अंकों की प्रतिशतता का दस प्रतिशत
3.	बी0ए0 / बी0एस0सी0 में प्राप्त अंक	20	प्राप्त अंकों की प्रतिशतता का बीस प्रतिशत
4.	एम0ए0 / एम0एस0सी में प्राप्त अंक	40	प्राप्त अंकों की प्रतिशतता का चालीस प्रतिशत
5	सरकारी / अर्द्ध सरकारी, किसी फर्म में जिसके विरूद्ध अभ्यर्थी का साक्षात्कार लिया जा रहा है में अनुभव	10	छः मास से कम अनुभव को विचार में नहीं लिया जाएगा, प्रत्येक छः मास के लिए 2.5 अंकों का श्रेयस, अधिकतम दस अंकों के अध्यधीन, दिया जाएगा ।
6.	हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान	05	––
7.	मौखिक परीक्षा	10	––

(VI) **करार.–** अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

VII) निबन्धन और शर्ते.–

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को करार के निबन्धनों के अनुसार 3780 / –रूपए की दर से समेकित संविदात्मक रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए समेकित संविदात्मक रकम में 100 / –रूपए की बढ़ौतरी अनुज्ञात की जाएगी।

(ख) संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति की सेवा पूर्णतयः अस्थाई आधार पर होगी। नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है।

(ग) संविदा पर नियुक्ति पदधारी को किसी भी दशा में, सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(घ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नही ं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नही ं होगा / होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

(ड) नियन्त्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यावसान) हो जाएगी ।

(च) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए मानदेय का हकदार नहीं होगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ज) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(झ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित पदधारी को लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(VIII) नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार इन नियमों के अधीन संविदा क आधार पर लगाए गए अभ्यर्थी को किसी भी दशा में विभाग में चपरासी के रूप में नियमितिकरण / स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नही होगा।

———

उपाबन्ध– "ख"

चपड़ासी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, उद्योग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित किए जाने वाले संविदा / करार का प्ररूप।

यह करार श्री / श्रीमति..... पुत्र / पुत्री श्री..... निवासी.....,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् **'प्रथम पक्षकार'** कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक, उद्योग हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् **'द्वितीय पक्षकार'** कहा गया हैं) के माध्यम से आज तारीख..... को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने चपरासी के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है.–

1. यह कि प्रथम पक्षकार चपरासी के रूप में ..... से प्रारम्भ होने और..... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् को अर्थात्..... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझीं जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार का संविदा वेतन रकम 3780 / – रुपए प्रतिमास होगा।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी। नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है।

4. संविदात्मक नियुक्ति सेवा में नियमितिकरण के लिए पदधारी को किसी भी दशा में कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

5. संविदात्मक चपरासी एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदात्मक चपरासी को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी। नियमानुसार केवल प्रसूति अवकाश दिया जाएगा।

6. नियन्त्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदात्मक चपरासी कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक वेतन का हकदार नही होगा।

7. संविदात्मक नियुक्त चपरासी का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी अवस्था में अनुज्ञात नहीं होगा।

8. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में उसका दौरे पर जाना अपेक्षित हो तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित पदधारी को लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।

10. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति(यों) को सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ–साथ इ0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 भी लागू नही होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षी की उपस्थिति में
1.....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

2.....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर

साक्षी की उपस्थिति में
1.....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)
2.....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर

आदेश द्वारा,
हस्ता / –
अतिरिक्त मुख्य सचिव।

———

[Authoritative English text of this Department Notification No: Udyog-II(Kha)2-5/99..... Dated ..... as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 2007

No.Udyog-II(Kha)2-5/99.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules, further to amend the Himachal Pradesh Industries Department Law Officer, Class-II (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2006, notified vide notification No. Udyog-II (Kha) 2-5/99 dated: 18.09.2006, namely: —

1. *Short title and Commencement.* —(i) These rules may be called the Himachal Pradesh, Industries Department, Law Officer, Class-II (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2007.

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment Annexure"A"*.— In Annexure-A to the Himachal Pradesh, Industries Department, Law Officer, Class-II (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2006—

(a) For the existing entries against Col.No.1 the following shall be substituted, namely.—

"Law Officer"

(b) For existing entries "Legal Assistant" wherever appearing against Col.No.15-A shall be replaced by words "Law Officer"

(c) For existing entries against Col.No.15-A (VII)(h) i.e. terms and conditions the words "at the minimum of the pay scale" may be added after words "Regular appointee."

(d) For existing entries in Condition No.9 of Annexure-B appended to the R&P Rules of Law Officer the words "at the minimum of the pay Scale" may be added after the word "counter part officer".

(b) After the existing entries against Col.No15 the following shall be substituted, namely.—

"15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.

1. CONCEPT.—

(a) Under the policy, Law Officer in` the Department of Industries, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable for further two years on year-to-year basis.

(b) The candidates will be selected by advertising the vacant post by the Head of the Department in two leading newspapers.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(d) Contract appointee so selected under these Rules will not have any right to claim regularization or permanent absorption in Govt. job.

(II) HONORARIUM PAYABLE.—The Law Officer appointed on contract basis will be paid intial of the pay scale +Dearness Pay.

(III) APPOINTMENT/DISCIPLINARY AUTHORITY.—Director of Industries, H.P. will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection foe appointment to the post in the case of Contract Appointment recruitment will be made on the basis of vivavoce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standared syllabus etc. of which will be determined by the Selection Committee prescribed under these Rules.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF ONTRACTUAL APPOINTMENTS.—The selection will be made by the Director of Industries, H.P. by conducting the written/viva-voce test

of the candidates. The Selection Committee may conduct the written test if the number of applicants is more than ten times of vacancies in concerned subject.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/ she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contract Appointee will be paid contractual amount in terms of agreement and whichever it appears in Rule-15.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is lible to be terminated in case the performance contract of the contract appointee is not found good.

(c) Contract appointee shall not confer any right to incumbent for the regularization at any stage.

(d) One day casual leave will be admissible to contract appointee for each completed month of service. No leave of ant other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. Only Maternity Leave will be given as per rules.

(e) Unauthorized absence from the duties without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for salary for the period of absence from duly.

(f) Transfer of contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(g) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Govt./Registered Medical Practitioner. Women candidate, pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The Women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(h) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to Regular Official at the minimum of the pay scale.

(VIII) RIGHT TO CLAIM REGULAR APPOINTMENT.— The candidate engaged on contract basis under these rules shall have no right to claim for regularization/permanent absorption as Law Officer in Industries Department at any stage.

———

Annexure - B

Form of contract / agreement to be executed between the Law Officer & the Government of Himachal Pradesh through Director of Industries, H.P.

This agreement is made on this ..... day of ..... in the year .....between Sh./ Smt. ..... S/o/D/o Sh. ..... R/o ..... Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Director of Industries, Himachal Pradesh (hereinafter called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Peon on contract basis on the following terms and conditions.—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as Peon for a period of 1 year commencing on the day of ..... and ending on the day of ..... It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ..... and information notice shall not be necessary.

2. The Contract salary of the FIRST PARTY will Rs.3780/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good.

4. The contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regular service at any stage.

5. Contractual Peon will be entitled for one-day casual leave after putting one-month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Peon. He/she will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. One maternity leave will be given as per Rules.

6. Unauthorised absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Law Officer will not be entitled for the salary for the period of absence from duty.

7. Transfer of a Law Officer appointment on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.

8. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/practitioner.

' 9. Contract official shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part Official.

10. The Employees Group Insurance Scheme EPF&GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.'

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. .....
.....
.....

(Name and Full Address)

Signature of the (FIRST PARTY)

2 .....
.....
.....

(Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. .....
.....
.....

(Name and Full Address)

Signature of the (SECOND PARTY)

2. .....
.....
.....

(Name and Full Address)

By order,
Sd/—
Addl. Chief Secretary .

———

उद्योग विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 2 अगस्त, 2007

संख्याःइण्ड–।।(बी)2–2 / 2005.–हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्याः उद्योग–।। (ख)2–25 / 1997 तारीख 26–03–1997 द्वारा अधिसूचित उद्योग विभाग हिमाचल प्रदेश में चपड़ासी वर्ग–IV (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्.–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उद्याग विभाग चपरासी वर्ग–IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2007 हैं।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

2. उपाबन्ध–अ का संशोंधन.–हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग चपड़ासी वर्ग–IV (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 के उपाबन्ध–अ में–

(क) स्तम्भ संख्या 5 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:– "लागू नहीं।"

(ख) स्तम्भ संख्या 10 के विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–"भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतताः ";

(ग) स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्.–

i) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर।

ii) पचास प्रतिशत स्थानान्तरण द्वारा। ;

(घ) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"विभाग में अन्य वर्ग–प्ट में से स्थानान्तरण द्वारा, जिनका 5 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 5 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो।

उक्त पद पर स्थानान्तरण के लिए सभी वर्ग–प्ट कर्मचारियों की, उनकी पारस्परिक वरिष्ठता को छेड़े बिना, एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी। ";

(ङ) स्तम्भ संख्या 12 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:– ''लागू नहीं''।

(च) स्तम्भ संख्या 15 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्.–

"15–क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन।

(I) **संकल्पना.–** (क) इस पॉलिसी के अधीन उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश में चपरासी को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) अभ्यर्थियों का चयन, विभागाध्यक्ष द्वारा दो अग्रणी समाचार पत्रों में रिक्त पद का विज्ञापन देकर किया जाएगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तो के अनुसार किया जाएगा।

(घ) इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर इस प्रकार चयनित व्यक्ति को सरकारी सेवा (जॉब) में नियमितिकरण या स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(II) देयेय मानदेयेय.– संविदा के आधार पर नियुक्त चपरासी को करार के निबन्धनों के अनुसार 3780 / –रूपए की दर से समेकित संविदात्मक रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी । आकस्मिक अवकाश के सिवाए छुट्टी की अवधि के लिए कोई रकम सन्दत्त नहीं की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए समेकित संविदात्मक रकम में 100 / –रूपए कीबढ़ौतरी अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति / अनुशासन प्राधिकारी.– निदेशक, उद्योग हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रकिया.– (क) निदेशक, उद्योग हिमाचल प्रदेश वित्तीय वर्ष के समाप्ति से ठीक पूर्व चपरासियों की रिक्तियों की बाबत सरकार / विभाग को सूचित करेगा और कार्यभार (वर्कलोड) तथा मानकों के अनुसार पूर्ण औचित्य देते हुए रिक्तयों को भरने के लिए अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(ख) सरकार द्वारा, अनुरोध पर विचार किया जाएगा और यदि प्रथमतः स्थानान्तरण के लिए कोई अनुरोध है, तो सरकार नियमित पदधारी के स्थानान्तरण द्वारा रिक्ति को भरेगी या अन्यथा सरकार विभागाध्यक्ष को चपरासी के रिक्त पद को संविदा के आधार पर केवल एक वित्तीय वर्ष के लिए भरने हेतु "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी करेगी जिस` सरकार द्वारा वर्षानुवर्ष बढ़ाया जा सकेगा।

(ग) विभागाध्यक्ष, रिक्त पद को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् नियोजनालय के माध्यम से रिक्त पदों के ब्यौरे विज्ञापित करवाएगा और विभागाध्यक्ष द्वारा यथा विहित अर्हताएं और अन्य पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों से निश्चित तौर पर वित्तीय वर्ष के प्रथम मास में आवेदन मांगेगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिः चयन, निदेशक उद्योग हिमाचल प्रदेश द्वारा निम्नलिखित गठित चयन समिति के अनुमोदन के पश्चात् किया जाएगा.–

1. निदेशक उद्योग	अध्यक्ष
2. अतिरिक्त / संयुक्त निदेशक (प्रशासन)उद्योग	सदस्य
3. संयुक्त निदेशक उद्योग	सदस्य

चयन अभ्यर्थियों की लिखित / मौखिक परीक्षा संचालित करके किया जाएगा। यदि सम्बद्ध विषय में आवेदनों की संख्या रिक्तियों से दस गुणा से अधिक है तो चयन समिति लिखित परीक्षा का आयोजन कर सकेगी। चयन का मानदण्ड निम्न प्रकार स` दर्शाए गए अंकों के वितरण के आधार पर होगा.–

क्रम संख्या	विशिष्टियां	अंक	टिप्पणियां
1.	दसवीं में प्राप्त अंक	05	प्राप्त अंकों की प्रतिशतता का पांच प्रतिशत
2.	हायर सेकेण्डरी / 10+2 में प्राप्त अंक	10	प्राप्त अंकों की प्रतिशतता का दस प्रतिशत
3.	बी0ए0 / बी0एस0सी0 में प्राप्त अंक	20	प्राप्त अंकों की प्रतिशतता का बीस प्रतिशत
4.	एम0ए0 / एम0एस0सी में प्राप्त अंक	40	प्राप्त अंकों की प्रतिशतता का चालीस प्रतिशत
5.	सरकारी / अर्द्ध सरकारी , किसी फर्म में जिसके विरूद्ध अभ्यर्थी का साक्षात्कार लिया जा रहा है में अनुभव	10	छः मास से कम अनुभव को विचार में नहीं लिया जाएगा, प्रत्येक छः मास के लिए 2.5 अंकों का श्रेयस, अधिकतम दस अंकों के अध्यधीन, दिया जाएगा ।
6.	हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों रीतियों और बोलियों का ज्ञान	05	––
7.	मौखिक परीक्षा	10	––

(VI) करार.– अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन औरैर शर्तें.– (क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को करार के निबन्धनों के अनुसार 3780 / –रूपए की दर स` समेकित संविदात्मक रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए समेकित संविदात्मक रकम में 100 / –रूपए की बढ़ौतरी अनुज्ञात की जाएगी।

(ख) संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति की सेवा पूर्णतयः अस्थाई आधार पर होगी। नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है।

(ग) संविदा पर नियु क्त पदधारी को किसी भी दशा में, सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(घ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

(ड) नियन्त्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यावसान) हो जाएगी ।

(च) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए मानदेय का हकदार नही होगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ज) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्री कृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(झ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित पदधारी को लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(VIII) नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकारः इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर लगाए गए अभ्यर्थी को किसी भी दशा में विभाग में चपरासी के रूप में नियमितिकरण / स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नही होगा।

———

उपाबन्ध– "ख"

चपरासी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, उद्योग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित किए जाने वाले संविदा / करार का प्ररूप।

यह करार श्री / श्रीमति..... पुत्र / पुत्री श्री..... निवासी.....,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''प्रथम पक्षकार'' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक, उद्योग हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..... को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने चपरासी के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है.–

1. यह कि प्रथम पक्षकार चपरासी के रूप में. ..... से प्रारम्भ होने और..... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् को अर्थात्..... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझीं जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार का संविदा वेतन रकम 3780 / – रूपए प्रतिमास होगा।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी। नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है।

4. संविदात्मक नियुक्ति सेवा में नियमितिकरण के लिए पदधारी को किसी भी दशा में कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

5. संविदात्मक चपरासी एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदात्मक चपरासी को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी। नियमानुसार केवल प्रसूति अवकाश दिया जाएगा।

6. नियन्त्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदात्मक चपरासी कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक वेतन का हकदार नही होगा।

7. संविदात्मक नियुक्त चपरासी का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी अवस्था में अनुज्ञात नहीं होगा।

8. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्री कृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में उसका दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित पदधारी को लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।

11. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति(यों) को सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ–साथ इ0 पी0 एफ0 / जी0पी0एफ0 भी लागू नही होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षी की उपस्थिति में
1.....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)
2.....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर

साक्षी की उपस्थिति में
1.....
.....
.....
;नाम व पूरा पता)
2.....
.....
.....
नाम व पूरा पता)

द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर

आदेश द्वारा,
हस्ता / –
प्रधान सचिव,

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(B-Section)

NOTIFICATION

Shimla-2, 4th August,2007.

No.:GAD-B(A)1-3/2007.— The Governor Himachal Pradesh is pleased to constitute a State Level Executive Committee under the aegis of Baddi Barotiwala Nalagarh Development Authority, comprising of following members:

Chief Secretary to the Govt. of HP	*Chairman*
Addl. Chief Secretary (Inds.)	*Member*
Addl. Chief Secretary(MPP& Power)	*Member*
Pr. Secretary (PWD)	*Member*
Financial Commissioner (Rev.)	*Member*
Pr. Secretary (I&PH)	**Member*
Pr. Secretary (GAD)	*Member*
Secretary (Finance)	*Member*
Secretary (TCP)	*Member*
Director Industries	*Member*
Member Secretary (HPE&PCB)	*Member*
D.C. Solan	*Member*
CEO, BBNDA	*Member Secretary.*

The Committee shall approve the development works and plans of BBNDA and take up various issues requiring intervention of State Govt. It shall also help in removal of bottlenecks between Govt. Departments and BBNDA, clearance of important issues pending general Body meeting of Authority, review of progress of BBNDA. The meetings of above Committee shall be held once in two months.

———

Shimla-2, 6th August, 2007.

No.:GAD-B(A)1-4/2007.— The Governor Himachal Pradesh is pleased to constitute acommittee comprising of following members in order to address various issues related to pollution in the Baddi Barotiwala Nalagarh area:-

1. Member Secretary Himachal Pradesh - Pollution control Board.	*Member Convenor*
2. Director Environment -	*Member.*
3. Deputy Commissioner, Solan -	*Member*
4. Chief Executive Officer , BBNDA. -	*Member*
5. General Manager DIC Solan -	*Member*

The committee shall visit the entire Baddi Barotiwala Nalagarh Area to assess the extent of pollution, analyze various potential sources of pollution and suggest remedial measures to check the pollution in the area. The committee shall submit its report with in one month.

By order,
Sd/-
Chief Secretary

———

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT.

NOTIFICATION

Shimla-2 the 2nd August, 2007.

No. EXN-B(6)-2/2005-L.— The Governor Himachal Pradesh is pleased to order the transfer of Shri Satish Gupta, Excise and Taxation officer from office of the AETC, Shimla to Parwanoo Circle against vacancy in the public interest with immediate effect.

By order,
Sd/-
Principal Secretary

वित्त (विनियम) विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 28 अगस्त, 2007

संख्या फिन (सी)ए (3)–6/98–II.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविवधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू जनरल प्रौविडेन्ट फंड (सैन्ट्रल सर्विसिज), रूलज 1960 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**–– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जनरल प्रोविडैन्ट फंड (सैन्ट्रल सर्विसिज) हिमाचल प्रदेश (फर्स्ट अमैन्डटमैन्ट) रूलज, 2007 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे ।

रूल 11 का संशोधन.––जनरल प्रोविडैन्ट फंड (सैन्ट्रल सर्विसिज), रूलज 1960 के रूल 11 के सैकिण्ड प्रोविज़ो (द्वितीय परन्तुक) के नीचे निम्नलिखित नया प्रोवाइज़ो (परन्तुक) जोड़ा जाएगा, अर्थातः–

"Provided further that where a retiree wants to retain his GPF accumulations with the Government beyond prescribed period of six months as prescribed under sub rule (4) of rule 11 ibid, he may be permitted to do so by the concerned Head of the Office, on receipt of a written request from him to this effect. In such cases, interest as allowed by the State government on GPF accumulations for subscribers to the GPF from time to time, will be payable".

आदेश द्वारा,
रवि ढींगरा,
मुख्य सचिव।

———

[*Authoritative English text of this Department Notification No. Fin (C) A (3)-6/96-II, dated August, 07 as required under Clause (3) of Article-348 of the Constitution of India*].

FINANCE (REGULATIONS) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002 the 28th August, 2007

No. Fin (C) A (3)-6/96-II In exercise of the powers conferred by proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules further to amend the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, in their application to the State of Himachal Pradesh namely:—

1. *Short title and Commencement.—(*1) These rules may be called the General Provident Fund (Central Services), Himachal Pradesh First Amendment) Rules, 2007.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

Amendment in rule 11.—Below second proviso to the rule11 of the General Provident Fund (Central Services) Rules 1960, the following new proviso shall be added:—

"Provided further that where a retiree wants to retain his GPF accumulations with the Government beyond prescribed period of 6 months as prescribed under sub rule (4) of rule 11 ibid, he may be permitted to do so by the concerned Head of the Office, on receipt of a written request from him to this effect. In such cases, interest as allowed by the State Government on GPF accumulations for subscribers to the GPF from time to time, will be payable".

By order,
RAVI DHINGRA
Chief Secretary.

———

PERSONNEL DEPARTMENT

Appointment-IV

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 8th August, 2007

No.Per(A-IV)-F(11)-2/94.—The Governor, Himachal Pradesh, in pursuance of the decision as contained in this Department's Notification of even number dated 6th August, 2007, is pleased to redesignate Shri Kanshi Ram Bharti, HPAS, Director, Technical Education, Sundernagar, District Mandi, Himachal Pradesh and Additional Secretary (Tech nical Education) to the Government of Himachal Pradesh as Director, Technical Education, Sundernagar, District Mandi, Himachal Pradesh and Special Secretary (Technical Education) to the Government of Himachal Pradesh, with immediate effect

By order,
RAVI DHINGRA
Chief Secretary .

———

PERSONNEL DEPARTMENT (A-I)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 28th August, 2007

No. Per.(A-I)B(12)-1/76-IX.— Dated: Shimla-171002, the 28th August, 2007. In partial modification of this Department's Notification of even number dated the 6th August, 2007, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to order that Ms.Meera Mohanty, IAS Probationers of 2005-07 batch who is under order of posting as Assistant Commissioner(Development) *cum* Block Development Officer, Amb, District Una is now posted as Assistant Commissioner(Development) *cum* Block Development Officer, Solan, District Solan, with immediate effect, in public interest.

By order,
RAVI DHINGRA
Chief Secretary .

In the Court of Smt. Mamta, IAS, Marriage Officer-cum-**Sub-Divisional Magistrate, Dehra, District Kangra (H.P.)**

In the matter of :—

1. Rakesh Gautam s/o Shri Om Parkash Gautam, resident of Village and P.O. Nihari, Tehsil Rakkar, District Kangra (H.P.).

2. Monika Gautam d/o Shri Purshotam Lal, reisident of Village Kuhathroo ,P.O. Dhaneta, Tehsil and District Hamirpur . .

.*Applicants.*

Versus

General public.

Subject .—Application for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Shri Rakesh Gautam s/o Shri Om Parkash Gautam and Monika Gautam d/o Shri Purshotam Lal have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Special Marriage Act,1954 that they have solemnised their marriage on 30-4-2005 according to Hindu rites and ceremonies marriage have been performed between the applicants and they have been living together as a husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 18-09-2007 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued on 17th August, 2007 under my hand and seal of court.

Seal.

SMT.
MAMTA,
Marriage Officer-cum-
Sub-Divisional Magistrate,
Dehra, District Kangra (H. P.).

ब अदालत श्री Hans Raj , तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0.....

श्री Mast Ram Bhuria बनाम General public.

विषय .——प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) हि0 प्र0 जन्म एवं मृत्यु / पंजीकरण अधिनियम 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Mast Ram पुत्र Ragha Singh, निवासी Dharamshala, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र Sitanhu Bhuria का जन्म 26–6–1978 को हुआ है। परन्तु एम0सी0 Dharamshala में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये

जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे Sitanhu bhuria की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 22–9–07 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 21–08–2007 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

हंस राज भाटिया,
मोहर । तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत श्री हंस राज भाटिया, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0.....

श्री मन बहादुर बनाम आम जनता

विषय .––प्रार्थना पत्र जेर धारा 13 (3) हि0 प्र0 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969।

नोटिस बनाम आम जनता :––

श्री मन बहादुर पुत्र श्री बेली बहादुर, निवासी डल लेक, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र पारस की जन्म तिथि 2–1–03 है परन्तु ग्राम पंचायत वत्लला में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे पारस की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 22–9–07 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताविक शपथ पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएगे।

आज दिनांक 23–08–2007 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

हंस राज भाटिया,
मोहर । तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्ड़ाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत श्री हंस राज भाटिया, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0.....

श्री बेग वहादुर बनाम आम जनता

विषय .––प्रार्थना– पत्र जेर धारा 13 (3) हि0 प्र0 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।

श्री बेग बहादुर पुत्र श्री मोती राम, निवासी 12 Kote कडलोट, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पत्नी चम्पा थापा की मृत्यु 11–11–1985 को हुई है परन्तु ग्राम पंचायत कजलोट में मृत्यु तिथि पंजीकृत न है। अतः पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि

किसी को उपरोक्त चम्पा थापा की मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 5–10–07 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक शपथ पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 23–08–2007 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

हंस राज भाटिया,
मोहर । तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्ड़ाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

———

ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी वड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 4 / 2007 नाम दरूस्ती पेशी 8–10–2007

पृथ्वी राज पुत्र श्री रखिला राम, पुत्र फलातू, निवासी महाल रूश्यालकड़, मौजा जसाई, तहसील–वड़ोह जिला कांगड़ा।

बनाम

आम जनता आदि

विषय.––राजस्व अभिलेख में उप नाम दर्ज करने बारे प्रार्थना पत्र।

इश्तहार बनाम प्रतिवादी (आम जनता)।

प्रार्थी पृथ्वी राज ने इस अदालत में प्रार्थना पर मय हल्फीय व्यान व अन्य प्रमाण पत्र सहित गुजारा है कि उसका नाम पंचायत व अन्य प्रमाण पत्रों में पृथ्वी राज दर्ज चला आ रहा है, लेकिन राजस्व अभिलेख में उसका नाम पिरथी राज दर्ज है। वाउी ने प्रार्थना पत्र में अनुरोध किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में पिरथी राज उप नाम पृथ्वी राज दर्ज किया जाये।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख में पिरथी राज उप नाम पृथ्वी राज दर्ज करने पर कोई एतराज / उजर हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में तारीख पेशी 8–10–2007 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर कर सकता है। हाजर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा की सुनवाई व अन्तिम आदेश पारित कर दिये जायेंगे बाद में कोई भी उजर / एतराज नही सुना जायेगा और न ही मान्य होगा।

आज दिनांक 9–8–2007 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर द्वारा जारी हुआ।

हस्ताक्षरित / –
मोहर। सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
वड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

———

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कार्यालय अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्रीमती परमला देवी पुत्री श्री राम पाल, निवासी गोन्दपुर वनेहड़ा अप्पर, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती परमला देवी पुत्री श्री राम पाल, निवासी गोन्दपुर वनेहड़ा ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उसके लड़के का नाम अभिनन्दन है जिसका जन्म दिनांक 13–8–05 को हुआ है परन्तु

अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत गोन्दपुर वनेहड़ा अप्पर के रिकार्ड में दर्ज नही करा सका है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10–9–2007 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर प्रार्थना–पत्र श्रीमती परमला देवी पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 10–08–2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित / –
मोहर । कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कार्यालय अम्ब,
जिला ऊना (हि0 प्र0)।

————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कार्यालय अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री जगदीश कुमार पुत्र श्री धनी राम, निवासी भन्जाल, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री जगदीश कुमार पुत्र श्री धनी राम, निवासी भन्जाल ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उसके लड़के का नाम राजन चौधरी है जिसका जन्म दिनांक 20–9–03 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत भन्जाल के रिकार्ड में दर्ज नही करा सका।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10–9–2007 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर प्रार्थना–पत्र श्री जगदीश कुमार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 10–08–2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित / –
मोहर । कार्यकारी दण्ड़ाधिकारी,
तहसील कार्यालय अम्ब,
जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कार्यालय अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री बलदेव राज, निवासी धन्पड़ी, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री बलदेव राज पुत्र श्री बलदेव राज, निवासी धन्पड़ी ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उसके लड़के का नाम संजीव कुमार है जिसका जन्म दिनांक 5–8–02 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत टकारला के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10–9–2007 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर प्रार्थना–पत्र श्री सुभाष चन्द पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 10–08–2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

हस्ताक्षर / –

मोहर । कार्यकारी दण्ड़ाधिकारी,
तहसील कार्यालय अम्ब,
जिला ऊना (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कार्यालय अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्रीमती रीना देवी पुत्री श्री देस राज, निवासी शिवपुर, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती रीना देवी पुत्री श्री देस राज, निवासी शिवपुर ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उसके लड़के पुंकज कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार का जन्म दिनांक 2–10–05 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत शिवपुर के रिकार्ड में दर्ज नही करा सका।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10–9–2007 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर प्रार्थना–पत्र श्रीमती रीना देवी पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 10–08–2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित / –

मोहर । कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कार्यालय अम्ब,
जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री औंकार नाथ शर्मा, नायव तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी ,अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

केस नं0 :2 / C/Ni-To7 तारीख पेशी : 14–9–07

तुफैल मुहम्मद पुत्र फरोजदीन, गांव जनूही, तहसील अम्ब, जिला ऊना

बनाम

आम जनता

उनवान मुकदमा :––प्रार्थना–पत्र दरूस्ती वाक्या गांव जनूही, तहसील अम्ब।

प्रार्थी तुफैल मुहम्मद पुत्र फरोजदीन, गांव जनूही, तहसील अम्ब, जिना ऊना (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का सही नाम तुफैल मुहम्मद पुत्र फरोजदीन है परन्तु राजस्व रिकार्ड में उसका नाम अनवर हुसैन दर्ज किया गया है जो कि गलत है इसके साथ दसवीं कक्षा के प्रमाण–पत्र की प्रति, परिवार रजिस्टर व शपथ पत्र भी पेश किया है, इसकी छानबीन पटवारी हल्का व सचिव ग्रांम पंचायत नैहरिया से कार्रवाई गई जो कि सही पाई गई।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 14–9–2007 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर निपटारा नियमानुसार कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 10–08–2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित / –

मोहर । कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कार्यालय अम्ब,
जिला ऊना (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत श्री अशोक चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा :––

श्रीमती रतनी देवी विधवा श्री कश्मीर सिंह, तहसील जोगिन्दरनगर, निवासी चौन्तडा, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थिन श्रीमती रतनी देवी विधवा कश्मीर सिंह, निवासी चौन्तड़ा ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री कुमारी ज्योति व पुत्र रोहितेश का जन्म दिनांक.....को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि नगर पंचायत के रिकार्ड में दर्ज न करा सकी।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 5–9–2007 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर हो सकता है अन्यथा कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 20–08–2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित / –
मोहर । कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जोगिन्दरनगर,
जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

———————

समक्ष नायब तहसीलदार, उप– तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
ब अख्त्यारात सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी)

उनवान मुकद्दमा : नाम दरूस्ती :–– तारीख पेशी : 11–10–2007

श्री सोहन सिंह पुत्र श्री पूर्ण चन्द, निवासी भानू, डा0 घर सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

श्री सोहन सिंह पुत्र श्री पूर्ण चन्द निवासी भालू, डा0 घर सन्धोल, उप–तहसील सन्धोल, जिला मण्डी ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मुहाल नेरी के राजस्व अभिलेख में मेरा नाम लेख राज पुत्र श्री पूर्ण गलत दर्ज किया है जबकि मेरा वास्तविक नाम सोहन सिंह पुत्र श्री पूर्ण है। इसकी दरूस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरूस्ती करने का कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 11–10–2007 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत हो कर उक्त उजर पेश कर सकता है। वसूरत गैर हाजिर एक तरफ कार्रवाई अमल में लाई जा कर नाम दरूस्ती का आदेश पारित कर दिया जायेगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 22–8–2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित / –
मोहर । सहायक समाहर्ता–II श्रेणी,
सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

———————

समक्ष नायब तहसीलदार उप–तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
ब अख्त्यारात सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी)

उनवान मुकदमा : नाम दरूस्ती तारीख पेशी : 11–10–2007

गुरदेव चन्द पुत्र श्री अन्नत राम, निवासी मसोत, डा0 घर धलारा, उप तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

श्री गुरदेव चन्द पुत्र श्री अन्नत राम, निवासी मसोत, मुहाल चतरौन, डा0 घर घलारा, उप तहसील सन्धोल ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मुहाल चतरौन के राजस्व अभिलेख मे मेरा नाम गुरदेव पुत्र श्री अन्नत राम गलत दर्ज किया है जबकि मेरा वास्तविक नाम गुरदेव चन्द पुत्र अन्नत राम है। इसकी दरूस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरूस्ती करने का कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 11–10–2007 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत हो कर उक्त उजर पेश कर सकता है। वसूरत गैर हाजिर एक तरफ कार्रवाही अमल में लाई जा कर नाम दरूस्ती का आदेश पारित कर दिया जायेगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 22–8–2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित / –
मोहर । सहायक समाहर्ता–II श्रेणी,
सन्धोल जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

———————

समक्ष नायब तहसीलदार, उप– तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
ब अख्त्यारात सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी)

उनवान मुकद्दमा : नाम दरूस्ती तारीख पेशी : 11–10–2007

श्री कश्मीर सिंह पुत्र श्री नेक राम, डा0 घर धलारा, निवासी धलारा, उप–तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

श्री कश्मीर सिंह पुत्र श्री नेक राम, निवासी धलारा ने इस अदालत में शपथ–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मुहाल धलारा के राजस्व अभिलेख मे मेरा नाम नागणू पुत्र श्री नेक राम गलत दर्ज किया है जबकि मेरा वास्तविक नाम कश्मीर पुत्र श्री नेक राम है। इसकी दरूस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरूस्ती करने का कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 11–10–2007 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत हो कर उक्त उजर पेश कर सकता है वसूरत गैर हाजिर एक तरफ कार्रवाही अमल में लाई जा कर नाम दरूस्ती का आदेश पारित दिया जायेगा।

यह ईश्तहार आज दिनांक 22–8–2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

हस्ताक्षरित / –
मोहर । सहायक समाहर्ता–II श्रेणी,
सन्धोल, जिला मण्डी,
(हि0 प्र0)।

———————

न्यायालय श्री वी0 एस0 लगवाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

वाल दास

बनाम

आम जनता

श्री वाल दास पुत्र श्री देवी दास, साकन सुलतानपुर, डाकघर ढालपुर, तहसील व जिला कुल्लू ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि लड़के श्री हरी कृष्ण दिनांक 7–6–2004 को पैदा हुआ है। आवेदनकर्ता अपने लड़के के जन्म का इन्द्राज पता न होने के कारण नगर पंचायत कुल्लू के जन्म रजिस्टर में दर्ज न

करवा पाया है। परन्तु अब आवेदनकर्ता अपने लड़के की जन्म तिथि का इन्द्राज नगर पंचायत कुल्लू में करवाना चाहता है। इस इन्द्राज बारे जिला पंजीकार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू तथा सचिव नगर पंचायत कुल्लू द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गई है। उनकी रिपोर्ट से पाया गया कि श्री हरी कृष्ण के जन्म का इन्द्राज उनके रिकार्ड में न हुआ है।

अतः सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्री हरी कृष्ण के जन्म का इन्द्राज नगर पंचायत कुल्लू में दर्ज करने का एतराज हो तो वह किसी भी कार्य दिवस में इश्तहार साथ होने के एक महीने के अन्दर–अन्दर अपना उजर व एतराज असालतन व वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा किसी का भी उजर व एतराज न होने की सूरत में कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जावेगी और श्री हरी कृष्ण के जन्म का इन्द्राज नगर पंचायत कुल्लू के जन्म रजिस्टर में करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 17–8–2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर ।

वी0 एस0 लगवाल,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

———————

न्यायालय श्री वी0 एस0 लगवाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

नोरके

बनाम

आम जनता

श्री नोरके पुत्र श्री गारा, साकन लंका बेकर, डाकघर ढालपुर, तहसील व जिला कुल्लू ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसका लड़का श्री चोरतन दिनांक 12–2–1974 को पैदा हुआ है। आवेदनकर्ता अपने लड़के के जन्म का इन्द्राज पता न होने के कारण नगर पंचायत कुल्लू के जन्म रजिस्टर में दर्ज न करवा पाया है। परन्तु अब आवेदनकर्ता अपने लड़के की जन्म तिथि का इन्द्राज नगर पंचायत कुल्लू में करवाना चाहता है। इस इन्द्राज बारे जिला पंजीकार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू तथा सचिव नगर पंचायत कुल्लू द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गई है। उनकी रिपोर्ट से पाया गया कि श्री चोरतन के जन्म का इन्द्राज उनके रिकार्ड में न हुआ है।

अतः सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्री चोरतन के जन्म का इन्द्राज नगर पंचायत कुल्लू में दर्ज करने का एतराज हो तो वह किसी भी कार्य दिवस में इश्तहार साथ होने के एक महीने के अन्दर–अन्दर अपना उजर व एतराज असालतन व वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा किसी का भी उजर व एतराज न होने की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी और श्री चोरतन के जन्म का इन्द्राज नगर पंचायत कुल्लू के जन्म रजिस्टर में करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 17–8–2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर ।

वी0 एस0 लगवाल,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कुल्लू जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

न्यायालय श्री वी0 एस0 लगवाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

गोपाल सिंह

बनाम

आम जनता

श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री हिरा लाल, साकन गाहर, डाकघर सेअवाण, तहसील व जिला कुल्लू ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी लड़की तनुजा दिनांक 31–12–2002 को पैदा हुई है। आवेदनकर्ता अपनी लड़की के जन्म का इन्द्राज पता न होने के कारण ग्राम पंचायत गाहर के जन्म रजिस्टर में दर्ज न करवा पाया है। परन्तु अब आवेदनकर्ता अपनी लड़की की जन्म तिथि का इन्द्राज नगर पंचायत कुल्लू में करवाना चाहता है। इस इन्द्राज बारे जिला पंजीकार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू तथा सचिव ग्राम पंचायत गाहर द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गई है। उनकी रिपोर्ट से पाया गया कि तनुजा के जन्म का इन्द्राज उनके रिकार्ड में न हुआ है।

अतः सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को तनुजा के जन्म का इन्द्राज ग्राम पंचायत गाहर में दर्ज करने का एतराज हो तो वह किसी भी कार्य दिवस में इश्तहार साथ होने के एक महीने के अन्दर–अन्दर अपना उजर व एतराज असालतन व वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा किसी का भी उजर व एतराज न होने की सूरत में कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जावेगी और तनुजा के जन्म का इन्द्राज ग्राम पंचायत गाहर के जन्म रजिस्टर में करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 17–8–2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर ।

वी0 एस0 लगवाल,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

———————

न्यायालय श्री वी0 एस0 लगवाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

राजेश शर्मा

बनाम

आम जनता

श्री राजेश शर्मा पुत्र श्री राम नाथ, साकन लोरन, डाकघर ढालपुर, तहसील व जिला कुल्लू ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसका लड़का श्री आयूष शर्मा दिनांक 5–3–2005 को पैदा हुआ है। आवेदनकर्ता अपने लड़के के जन्म का इन्द्राज पता न होने के कारण नगर पंचायत कुल्लू में जन्म रजिस्टर में दर्ज न करवा पाया है। परन्तु अब आवेदनकर्ता अपने लड़के की जन्म तिथि का इन्द्राज नगर पंचायत कुल्लू में करवाना चाहता है। इस इन्द्राज बारे जिला पंजीकार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू तथा सचिव नगर पंचायत कुल्लू द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गई है। उनकी रिपोर्ट से पाया गया कि श्री आयूष शर्मा के जन्म का इन्द्राज उनके रिकार्ड में न हुआ है।

अतः सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्री आयूष शर्मा के जन्म का इन्द्राज नगर पंचायत कुल्लू में दर्ज करने का एतराज हो तो वह किसी भी कार्य दिवस में

इश्तहार साथ होने के एक महीने के अन्दर–अन्दर अपना उजर व एतराज असालतन व वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा किसी का भी उजर व एतराज न होने की सूरत में कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जावेगी और श्री आयूष शर्मा के जन्म का इन्द्राज नगर पंचायत कुल्लू के जन्म रजिस्टर में करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 17–8–2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर ।

वी0 एस0 लगवाल,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

———————

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 28 अगस्त, 2007

सख्या सिंचाई 11–19 / 2007–शिमला.– यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव भलयाणा व बागड़ा तहसील ठियोग जिला शिमला में उठाउ पेयजल योजना गिरी खडड से शिमला शहर के निर्माण हेतु भमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित है, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम,1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अर्न्तगत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुये राज्पाल उक्त अधिनियम की धारा–17 की उपधारा–4 के अधीन यह भी निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा–5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं हागें

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न0	क्षेत्र हैक्टियर में
शिमला	ठियोग	भलयाणा	187 / 2	0–00–39
			187 / 7	0–00–08
		किता –	2	0–00–47 है0

जिला	तहसील	गांव	खसरा न0	क्षेत्र हैक्टियर में
शिमला	ठियोग	बागड़ा	34 / 1	0–01–84

आदेश द्वारा,
हस्ता / –
प्रधान सचिव।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित